

सैन्य पुलिस आदेशांक 257/95.

विषय :- अवर इनरीक्षक १स१ / इनरीक्षक १स१ की पौक्त में प्रोन्नति के लिए आयोजित फील्ड बोर्ड में साक्षरता की जांच ।

बिहार सैन्य पुलिस में अवर इनरीक्षक १स१ / इनरीक्षक १स१ की पौक्त में प्रोन्नति के लिए आयोजित फील्ड बोर्ड में कवायद, अस्त्र-शस्त्रों एवं सामान्य ज्ञान आदि विषयों की परीक्षा ली जाती है और जो उम्मीदवार सफल होते हैं, प्रोन्नति के लिए उन पर विचार किया जाता है । अवर इनरीक्षक १स१ / इनरीक्षक १स१ की पौक्त के पदाधिकारियों का उत्तरदायित्व न सिर्फ कवायद, अस्त्र-शस्त्रों तक ही सीमित रहता है बल्कि उन पर सैन्य पुलिस को कम्पानियों का प्रशासनिक दायित्व भी रहता है । सैन्य पुलिस को कम्पानियां अधीनस्थ: सविदनशील दूरवर्ती क्षेत्रों में प्रोत्तानयुक्त की जाती हैं । उनके प्रभार के क्षेत्र में घातक घटनाओं के संबंध में उन्हें वरिष्ठ पदाधिकारियों को प्रोत्वेदन देना, कम्पनी में आवांठत शस्त्रों का लेखा-जोखा एवं अन्य वित्तीय तथा प्रशासनिक कार्यों का सम्पादन भी उन्हें करना पड़ता है । प्लाटून प्रभारी/कम्पनी समादेशक अपने पदभार के अंतर्गत कभी-कभी विभागीय कार्यवाही एवं कार्यालय के कार्यों को भी निष्पादित करते हैं । ऐसी स्थिति में यह आवश्यक है कि अवर इनरीक्षक १स१ / इनरीक्षक १स१ की पौक्त में प्रोन्नति के लिए आयोजित होने वाली फील्ड बोर्ड की परीक्षाओं में साक्षरता की जांच को अनिवार्य बनाया जाय ।

अतः बिहार एवं उड़ीसा मोलटरो पुलिस मैनुयल 1933 नियम 16१ए१ में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार एतद द्वारा आदेश दिया जाता है कि अवर इनरीक्षक १स१ / इनरीक्षक १स१ की पौक्त में प्रोन्नति हेतु आयोजित होने वाली फील्ड बोर्ड की जांच परीक्षा में उम्मीदवारों की साक्षरता की जांच भी की जाय । साक्षरता की जांच में पहन्दी में प्रोत्तिवेदन लिखने के अंतर्गत, अंग्रेजी को भी मामूली - सी जांच ली जायेगी, जिससे कि अस्त्र-शस्त्र का लेखा जोखा रखने में सुविधा मिल सके । इस विषय में पूर्णांक 20 नम्बर का होगा और उत्तीर्ण होने के लिए 10 अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा ।

१ कृ.पृ. 2, १

यह आदेश माह सितम्बर, 1995 में प्रभावी होगा।
सौ० डब्लू० जे० सौ० संख्या 6684/94 राजेंद्र प्रसाद एवं
अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, पटना
के फैसले के आलोक में, स्थाई सैन्य पुलिस आदेशांक 4/93 & जापांक 1461/
सै०पु० दिनांक 4/10/93 & एवं स्थाई सैन्य पुलिस आदेशांक 48जई/78
& जापांक 1462/सै०पु० दिनांक 4/10/93 & तत्काल प्रभाव से रद्द किया
जाता है।

जी.पी.
12/11/95

महानिदेशक एवं आरक्षी महानिरीक्षक,
बिहार, पटना।

जापांक 1982/सै०पु०
ई 16-1-19-94 खण्ड-II

सहायक निरीक्षक सशस्त्र-पुलिस मुख्यालय,
पटना, दिनांक 13 अक्टूबर, 1995।

- प्रतीलाप:-
1. सभी आरक्षी उप-महानिरीक्षक, सैन्य पुलिस को सूचना एवं आवश्यक क्रियार्थ।
 2. सभी तमादेवटा, बिहार सैन्य पुलिस को सूचना एवं आवश्यक क्रियार्थ।
 3. स्थापना तमादेवटा, सोनो, सोबो कार्यालय, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक क्रियार्थ।

जी.पी.
12/11/95

महानिदेशक एवं आरक्षी महानिरीक्षक,
बिहार, पटना।

संशुद्धन 121095.

August 09
1
2
Note's